पत्रांक – 16/प्र0सु0–02–04/2013 ......6476....../का0

झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव,
झारखंड।

रांची, दिनांक ...20/10/2021

विषय-- सरकारी कार्यालयों में निर्धारित समयानुसार पदाधिकारियों/कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के संबंध में।

महाशय,

कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु वर्ष 2015 से प्रवृत्त बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से राज्य कर्मियों को एतद् संबंधी निर्गत अधिसूचना द्वारा मार्च, 2020 से मुक्त रखा गया है। फलस्वरूप कतिपय विभागों एवं कार्यालयों में निर्धारित समयावधि के अनुसार पदाधिकारियों/ कर्मियों की उपस्थिति नहीं रहने की सूचना प्राप्त हो रही है।

जनहित, अनुशासन तथा राज्य सरकार की योजनाओं को ससमय लागू करने एवं इसका लाभ लाभार्थियों को ससमय सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से कार्यालयों में निर्धारित समयानुसार पदाधिकारियों/ कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कार्यावधि पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे तक (मध्याह्न विश्रांति काल 1.30 बजे से 2.00 बजे अपराह्न) निर्धारित है।

अतः अनुरोध है कि राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में पदाधिकारियों/ कर्मियों की उपस्थिति निर्धारित समयानुसार सुनिश्चित कराते हुए स्वयं भी इस अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहेंगे।

विश्वासभाजन,

(सुखदेव सिंह)

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग।

रॉची, दिनांक :– 26/10/21

ज्ञापांक :–5/विविध–14–105/2019 :– 5365

प्रतिलिपि :– प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, सुवर्णरेखा भवन, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ अपर निदेशक, भू–अर्जन एवं पुर्नवास कार्यालय, जमशेदपुर/सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)/ निदेशक भू–गर्भ जल निदेशालय,रॉची/उपसमाहर्त्ता, राजस्व प्रमण्डल, रॉची/सभी पुनर्वास पदाधिकारी/सभी विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं वेब पोर्टल पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।

26/10/21

(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव।